न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/एलआर/4354/2006/अजमेर

1 गीता देवी पत्नी संतोष कुमार
2 दीपक कुमार पुत्र संतोष कुमार जाति अग्रवाल निवासीयान अलीगढ (उ.प्र.) हाल निवासी दौराई तहसील व जिला अजमेर
3 कानी पत्नी भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक नाथ वकील प्रार्थीगण
श्री सुनील पारीक उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.25.2.19

यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 4/05 में पारित निर्णय दिनांक 24.4.06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 20.8.87 के विरूद्ध वर्ष 2005 में भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण ने पंजीकृत विक्रय पत्रों से क्रय की है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 20.8.87 को स्वीकार किया गया है। परन्तु उक्त नामान्तरकरण में आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा की जगह खसरा नम्बर 346 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 341 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांन्सी की जगह केवल 1 बीघा ही दर्ज कर, खसरा नम्बर खसरा नम्बर 345 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा की जगह रकबा 3 बीहघा 2 बिस्वा दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः विक्रय पत्र एवं राजस्व अभिलेख के

अनुसार दुरूस्ती की जावे। भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर ने दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय दिनांक 24.4.2006 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मूल नामान्तरकरण संख्या 36 में खसरा नम्बर 336 एवं 345 को सही अंकित होने से दुरूस्ती की आवश्यकता नहीं होने तथा खसरा नम्बर 341 के शेष रकबे 3 बिस्वा 10 बिस्वान्सी के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि भू प्रबन्ध अधिकारी ने खसरा नम्बर 341 के बाबत खोले गये नामान्तरकरण में त्रुटि होना स्वीकार करते हैं परन्तु उसे दुरूस्त नहीं कर सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही का आदेश देते हैं जो अनुचित है। जहां नामान्तरकरण में त्रुटि हुई हो उसे उसकी अपील में दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख एवं पंजीकृत विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 341 का रकबा कम दर्ज किया जाना साबित है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दुरूस्ती का आदेश दिया जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में खसरा नम्बर 341 के रकबे के संबंध में स्पष्ट किया है कि यह साबिक खसरा नम्बर 265 से बना है तथा खसरा नम्बर 265 के सामने नवीन खसरा नम्बर 341 रका 3 बिस्वा 10 बिस्वान्सी तथा नया खसरा नम्बर 341 रकबा 1 बीघा दो जगह अंकित होने से नामान्तरकरण में एक बीघा ही दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 36 वर्ष 1987 में तस्दीक किया गया था जिसके विरूद्ध अपील वर्ष 2005 में की गई है जो बहुत ही अधिक देरी से प्रस्तुत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 20.8.87 को स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील दिनांक 21.6.2005 को प्रस्तुत की गई है। यह अपील लगभग 18 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। प्रथम अपील में भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा खसरा नम्बर 336 एवं 345 के संबंध में मूल नामान्तरकरण में कोई त्रुटि नहीं होना एवं नकल तैयार करते समय भू मापक से नकल में त्रुटि होने से इन दोनों खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में दुरूस्ती की आवश्यकता नहीं होना माना है तथा

खसरा नम्बर 341 का रकबा कम अंकित होने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा है।

यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 36 लगभग 18 वर्ष पूर्व वर्ष 1987 में स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी प्रार्थीगण द्वारा अपील वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण में यदि कोई त्रुटि रही भी है तो उसे 18 वर्ष की देरी से प्रस्तुत अपील के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण को नामान्तरकरण की कार्यवाही की अपेक्षा वाद की कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिये। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं पाते हैं एवं यह निगरानी खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 24.4.06क यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य